—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 14/2024

उनवान

मुकेश कुमार पुत्र जेठू कुम्हार निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद, अजमेर
—— प्रार्थी :— जरियें अधिक्ता श्री मदनपुरी गोस्वामी

बनाम

1. कानाराम पुत्र नाथू
2. सांवरा पुत्र नाथू समस्त जाति कुम्हार, निवासी ग्राम बाघसुरी, नसीराबाद
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री गोरधन गुर्जर
3. जरियें जरियें राज. पैरोकार

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 29/8/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 0.83 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में लगती हुयी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी खसरा नम्बर 860 रकबा 0.37 स्थित है। खसरा नम्बर 858 गै.मु. उसर है, जो गोपालपुरा से होते हुये नसीराबाद से बाघसूरी–मसूदा रोड पर स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 858 से होते हुये प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी खसरा नम्बर 860 की पूर्वी सीमा में स्थित कदीमी रास्ते का उपयोग करते हुये अपने खातेदारी खसरा नम्बर 863 में जाते है। उक्त रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। उक्त आराजी में से आवागमन हेतु प्रार्थी के पास एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को उक्त आराजी में से 30 फिट चौडा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खसरा संख्या 863 के पास स्थित खसरा नम्बर 862, 888, 887, 859 के खातेदार को पक्षकार नही बनाया है। जवाबकर्ता की आराजी में कोई रास्ता नही है। प्रकरण में मुख्य रोड के कोई खसरा नम्बर अंकित नही है। प्रार्थी ने लघुतम मार्ग नही चाह कर दीर्घतम रास्ता चाहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बाघसुरी के हाल खसरा नम्बर 858 रकबा 0.06 [illegible] गै.मु. उसर सिवायचक खातें में है। खसरा नम्बर 863 रकबा 0.83 प्रार्थी की खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 860 0.37 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत

——2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 858 पर मौके पर रास्ता बताया गया है किन्तु खसरा नम्बर 858 राजस्व अभिलेख में रासता दर्ज नही होकर गै.मु. उसर दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता नही चाहा है। उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता नही चाहने पर मात्र अप्रार्थी की आराजी में से रास्ता दिये जाने पर उक्त मार्ग पूर्ण रूप से राजस्व अभिलेख में अंकित नही होगा। खसरा नम्बर 831 को धारा 131 के तहत मार्ग के रूप में अंकित करने का प्रस्ताव भी पूर्व में नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपूर्ण मार्ग दिया जाना न्यायोचित नही है।

उक्तानुसारः खसरा नम्बर 858 में से रास्ता नही चाहने व उक्त खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख में मार्ग के रूप में अंकित नही होने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र **का निस्तारण इस** आशय से किया किया जाता है कि खसरा नम्बर 858 को राजस्व अभिलेख में मार्ग अंकित होने के बाद प्रार्थी नवीन आवेदन पत्र पेश कर सकता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:34:24 IST
Reason: SelfAttested